आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
04/07/2022	**प्रमण्डलीय आयुक्त का न्यायालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची** **एस0 ए0 आर0 पुनरीक्षण 85/2011** **मोहन बड़ाईक बनाम् हरि महतो व अन्य** प्रश्नगत् पुनरीक्षण आवेदन अपर समाहर्त्ता, राँची द्वारा एस0 ए0 आर0 अपील संख्या–42–R15/2009-10 में पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया था। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता द्वारा वाद संख्या–06/2008–09 में ग्राम–ओरमांझी में खाता संख्या–118, प्लॉट–1048, रकबा–0.57 एकड़ भूमि के वापसी हेतु दावे को अस्वीकृत किया गया था तथा अपीलीय न्यायालय द्वारा उक्त आदेश को सम्पुष्ट किया गया था, जिसके विरूद्ध यह पुनरीक्षण वाद दायर किया गया है। प्रश्नगत् वाद में आवेदक की तरफ से अंतिम हाजिरी दिनांक–20.10.2015 को अंकित की गयी थी। उक्त तिथि के बाद से ही उभयपक्ष न्यायालय से अनुपस्थित है। आवेदकों को पक्ष रखने हेतु दिनांक–19.05.2022, 09.06.2022, 27.06.2022 को लगातार मौका दिया गया, किन्तु वे न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये। अंततः उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर वाद के निष्पादन का निर्णय लिया गया। अभिलेखों के अवलोकन से तथा निम्न न्यायालय के आदेशों से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत् भूमि लखनी बड़ाईकीन, पति–दूबराज सिंह के नाम से दर्ज है तथा सिकमीदार के रूप में कबीराज सिंह का नाम दर्ज है। अपीलकर्ता सिकमीदार के वंशज है तथा खतियानी रैयत के घर–दामाद होने का दावा किये है। सिकमीदार को प्रश्नगत् भूमि पर वारिसान अधिकार प्राप्त नहीं है। विपक्षी उक्त भूमि पर पूर्व से दखलकार है तथा उनके नाम से नियमित रूप से लगान–रसीद भी निर्गत होता रहा है। प्रश्नगत् भूमि के लिये पूर्व में ही भू–वापसी वाद संख्या–145/1978 मसो0 भुटकी बनाम् सुन्दर महतो एवं वाद संख्या–254/1993 मसो0 भुटकी देवी बनाम् जी0 महतो दायर किया गया था, जो खारिज किये जा चुके है। वर्तमान अपीलार्थी इन्हीं भुटकी देवी के	

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
	पुत्र है, जैसा कि उनके द्वारा स्वतः स्वीकार किया गया है। इस प्रकार इसी भूमि को लेकर लगातार भूमि वापसी के वाद दायर किये जाते रहे है तथा सभी वादों में सिकमीदार के अधिकार वंश परम्परागत नहीं होने के कारण भूमि वापसी के दावे को खारिज किया जाता रहा है। इस प्रकार स्पष्टतः यह विषय रेस–जूड़ीकांटा के सिद्धांत से ग्रसित है। आवेदक के अनुसूचित जनजाति के सदस्य होने के संबंध में भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। निम्न न्यायालयों के द्वारा सभी तथ्यों पर उचित गौर करते हुये भूमि वापसी के आवेदन को अस्वीकृत किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। आवेदक द्वारा इस न्यायालय की कार्रवाई में सहयोग भी नहीं किया जा रहा है तथा कोई नया तथ्य अथवा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसे स्थिति में इस पुनरीक्षण आवेदन को खारिज करते हुये वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित 4/7/22 प्रमण्डलीय आयुक्त 4/7/22 प्रमण्डलीय आयुक्त	

Digitally signed by MUTHUKUMAR ALAGUMUTHU
Date: 2022.11.18 15:33:33 +05:30
Location: 10.93.72.187